संख्या:35/2025/1287ई-2/तेरह-2025-140210

प्रेषक,

दुर्गा सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक: 19 नवम्बर, 2025

विषय- मेसर्स के.एम. शुगर मिल्स लि., मसौधा, अयोध्या, आसवनी इकाई की अधिष्ठापित क्षमता 50 के.एल. प्रतिदिन अर्थात 17,500 के.एल. वार्षिक अल्कोहल क्षमता में वृद्धि कर कुल 63 के.एल. प्रतिदिन अर्थात 350 कार्य दिवस के आधार पर 22,050 के.एल. वार्षिक के अन्तर्गत पेय क्षमता 10,000 के.एल. वार्षिक तथा औद्योगिक क्षमता 12,050 के.एल. वार्षिक निर्धारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:जी-58/ दो-प्रा.डी.-39/ के.एम.श.मि.लि. आसवनी, अयोध्या, दिनांक 21.10.2025 तथा प्रकरण में दिनांक 17.11.2025 को अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त संख्या:1286ई-2/ तेरह-2025-140210, दिनांक 19.11.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये संस्तुति सहित प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त प्रदेश के राजस्व हित व रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत मेसर्स के.एम. शुगर मिल्स लि., मसौधा, अयोध्या आसवनी इकाई की अधिष्ठापित क्षमता 50 के.एल. प्रतिदिन अर्थात 17,500 के.एल. वार्षिक अल्कोहल क्षमता में वृद्धि कर कुल 63 के.एल. प्रतिदिन अर्थात 350 कार्य दिवस के आधार पर 22,050 के.एल. वार्षिक के अन्तर्गत पेय क्षमता 10,000 के.एल. (45.35 प्रतिशत) वार्षिक तथा औद्योगिक क्षमता 12,050 के.एल. (54.65 प्रतिशत) वार्षिक निर्धारित किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(1) आसवक द्वारा उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली कार्यालय ज्ञाप दिनांक 11.11.2022 एवं 21.12.2023 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(2) आसवक द्वारा भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के इन्वायरमेन्टल क्लीयरेन्स एवं उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 01.01.2025 तथा उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग एवं प्रदेश सरकार के अन्य विभागों से निर्गत सुसंगत अधिनियमों/नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

(3) इकाई द्वारा प्लांट में फीड भरने वाले स्थान तथा आवसनी के मुख्य द्वार पर आने-जाने वाले वाहनों की नम्बर प्लेट को कैप्चर करने के लिये दो ANPR कैमरे स्थापित किये जायेंगे तथा आसवनी में अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर भी कैमरें स्थापित कियें जायेंगे। कैमरों तथा राडार का इन्टीग्रेशन आबकारी विभाग के पोर्टल से कराया जायेगा।

(4) इकाई द्वारा स्थापित किये जाने वाले संचय टैंकों एवं निकासी टैंकों पर राडार बेस्ड लेबल ट्रान्समीटर तथा संचय टैंकों एवं निकासी टैंकों के मध्य एवं निकासी टैंकों के पश्चात मास फ्लोमीटर लगाये जायेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) इकाई का आबकारी विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराते हुये पोर्टल की सभी औपचारिकतायें पूर्ण की जायेगी।

(6) इकाई द्वारा उत्पादन करते समय गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (GMP) एवं भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) प्रकरण में अग्रतर कार्यवाही करने से पूर्व आबकारी आयुक्त, उ.प्र. द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इकाई पर अद्यतन कोई राजस्व देयता/बकाया नहीं है।

(8) आबकारी आयुक्त द्वारा इस संदर्भ में लागू अन्य समस्त सुसंगत नियमों/ नियमावलियों व शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

(9) आसवक द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि जो भी फीड स्टॉक आसवनी द्वारा प्रयुक्त किया जाये, उसकी रिकवरी वैज्ञानिक रूप से सत्यापित हो व समय-समय पर इसका परीक्षण भी कराया जाना आवश्यक होगा।

(10) आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमति निर्गत किये जाने से पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आसवनी मालिक द्वारा स्वयं के अधीन किसी भी इकाई में राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त किसी भी सुविधा का दुरूपयोग न किया गया हो।

तद्नुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दुर्गा सिंह)
उप सचिव।

संख्याः35/2025/1287(1)ई-2/तेरह-2025, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ.प्र. शासन ।
(2) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ.प्र. शासन।
(3) अपर मुख्य सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, उ.प्र. शासन।
(4) अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ.प्र. शासन।
(5) आबकारी आयुक्त, उ.प्र., प्रयागराज।
(6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दुर्गा सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।